न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 181/2014

1. नन्द सिंह पुत्र श्री राम सिंह जाति रावत निवासी ग्राम ढाणी पुरोहितान तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
2. सुनील पुत्र श्री राम सिंह जाति रावत निवासी ग्राम ढाणी पुरोहितान तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
3. बिन्दू पुत्री श्री राम सिंह पत्नि श्री शिवराज जाति रावत निवासी ढाणी पुरोहितान तहसील किशनगढ़ हाल निवासी नाहारपुरा तहसील नसीराबाद जिला अजमेर राज0

प्रार्थीगण

बनाम

1. राम सिंह पुत्र जोधा जाति रावत निवासी ग्राम ढाणी पुरोहितान तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
2. अणदा पुत्र पांचू जाति रावत निवासी ग्राम ढाणी पुरोहितान तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
2. श्रीमती शान्ति देवी पत्नि श्री लादू जाति रावत निवासी ग्राम ढाणी पुरोहितान तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
5. उप पंजीयक किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

दिनांकः 18/08/2021

उपस्थितः श्री रामदेव गुर्जर — प्रार्थीगण अभिभाषक

श्री हरदेव सिंह — अप्रार्थीगण सं0 1 व 2

निर्णय

1. यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा जरिये वकील श्री रामदेव गुर्जर के माध्यम से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत विरूद्ध अप्रार्थीगण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। वकील प्रार्थीया के निवेदन पर उनकी एक पक्षीय बहस सुनी जाकर अप्रार्थीगण को दिनांक 10.12.2014 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया गया।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि –

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में दावा किया है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं0 1 के मध्य पिता–पुत्र का संबंध में एवं संयुक्त हिन्दु परिवार की इकाई है। प्रार्थीगण के हित अधिकार एवं अप्रार्थी सं0 1 के नाम अधिकार अभिलेख की भूमि ख0नं0 48 रकबा 13–02–00 भूमि वाकै ग्राम ढाणी पुरोहितान तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

में स्थित है। जिसमें अप्रार्थी सं0 1 का 1/2 हिस्सा था जो अप्रार्थी सं0 3 को बैचान करने के बाद शेष हिस्सा 91/262 शेष रहा है। उक्त हिस्से में से अप्रार्थी सं0 1 द्वारा 20/262 हिस्सा अप्रार्थी सं0 2 को बैचान कर दिया। उक्त बैचान नामान्तकरण संख्या 823 दिनांक 20.05.2014 अवैध व शून्य है। चूंकि उक्त आराजी में प्रत्येक प्रार्थीगण का 1/8 हिस्सा निहित है अर्थात प्रार्थीगण का संयुक्त हिस्सा 3/8 निहित है। उपरोक्त आराजी में हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के प्रचलित प्रावधानों के तहत् प्रार्थीगण का हक हिस्सा अधिकार स्वत्व निहित है। कारण की उपरोक्त आराजी प्रार्थीगण के दादा जोधा पुत्र रूपा से विरासत में प्राप्त आराजी है। प्रार्थीगण के दादा जोधा के फौत होने के पश्चात् अप्रार्थी सं0 1 अर्थात प्रार्थीगण के पिता के नाम विरासत के तौर पर उपरोक्त आराजी में से 1/2 हिस्से का इन्द्राज हुआ इसी अनुसार मौके पर काबिज काश्त करते आ रहे थे, परन्तु अप्रार्थी सं0 1 द्वारा बिना किसी आवश्यकता के प्रार्थीगण के हित अधिकारों के विपरित जाकर उपरोक्त आराजी में से 20/262 हिस्सा अप्रार्थी सं0 2 को बैचान कर दिया। अप्रार्थी सं0 2 द्वारा बोगस विक्रय पत्र के आधार पर खरीद हिस्से से अधिक हिस्से पर जबरन कब्जा काश्त करने पर उतारू है एवं उपरोक्त आराजी को खुर्द बुर्द कर बैचान करने पर आमादा है। वाद कारण तब उत्पन्न हुआ जब दिनांक 08.12.2014 को अप्रार्थी सं0 1 द्वारा पैतृक भूमि के शेष हिस्से को बैचान करने पर उतारू हो गया एवं दिनांक 09.12.2014 को अप्रार्थी सं0 3 द्वारा बोगस विक्रय पत्र के आधार पर खरीद हिस्से से अधिक भूमि पर कब्जा काश्त करने पर आमादा हो गया एवं प्रार्थीगण के कृषकिय कार्य में व्यवधान उत्पन्न किया इस अवैधानिक कृत्य में अप्रार्थी सं0 3 असफल हुआ तब से वाद कारण निरन्तर रूप से जारी है। प्रार्थीगण का प्रकरण प्रथम दृष्टया व सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति यह धारा 212 के तीन महत्वपूर्ण घटक प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होते है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण की पैतृक अधिकार निहित एवं अप्रार्थी सं0 1 के नाम खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम ढाणी पुरोहितान पटवार हल्का सिलोरा के वर्तमान ख0नं0 48 रकबा 13–02–00 में अप्रार्थी सं0 1 का उपरोक्त आराजी में 1/2 हिस्सा निहित होने से प्रत्येक प्रार्थीगण का 1/8 हिस्सा संयुक्त रूप से 3/8 हिस्से से अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को बेदखल नहीं करे एवं कृषकिय कार्य में व्यवधान उत्पन्न नहीं करे एवं अप्रार्थी सं0 3 बोगस विक्रय के पत्र के आधार पर अधिक हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त नहीं करे, अप्रार्थी सं0 1 व 3 द्वारा बैचाना व हस्तान्तरण नहीं करे व मौका व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखे इस हेतु अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

अप्रार्थीगण को नोटिस वास्ते जाहिर करने वजह (Civil Procedure Code Appendix II, Form No. 4) के तहत् जारी किये गये। अप्रार्थी सं0 1 के उपस्थित नहीं होने पर दिनांक 10.02.2015 को उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई तथा अप्रार्थी सं0 4 व 5 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने पर दिनांक 28.08.2018 को उनका जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया गया। अप्रार्थी सं0 2 व 3 की ओर से वकील श्री हरदेव सिंह रावत द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसकी प्रति वकील प्रार्थीगण को दिलाई गई।

3.1 अप्रार्थी सं0 2 व 3 द्वारा अपने जवाब में निवेदन किया कि ग्राम ढाणी पुरोहितान के ख0नं0 48 रकबा 13–02–00 भूमि में अप्रार्थी सं0 1 का 1/2 हिस्सा था, जिसमें से अप्रार्थी सं0 1 द्वारा अप्रार्थी सं0 3 को 40/262 वां हिस्सा बैचान करने के बाद अप्रार्थी सं0 2 को 20/262 वां हिस्सा बैचान करने का कथन स्वीकार है। उक्त अप्रार्थी सं0 2 को बैचानशुदा भूमि का नामान्तकरण सं0 823 दिनांक 20.05.2014 को दर्ज हुआ है यह भी सत्य किन्तु शेष कथन प्रार्थीगण के मनगढ़त असत्य एवं कपोल कल्पित होने से अस्वीकार है। अप्रार्थी सं0 1 ने अपने पूर्ण खातेदारी अधिकारों के तहत् ही अप्रार्थी सं0 2 एवं 3 को अपनी खातेदारी कृषि आराजी को पूर्ण प्रतिफल राशि प्राप्त करके बैचान किया, जिसके पंजीकृत विक्रय पत्र निष्पादित करके मौके पर बैचानशुदा भूमि का कब्जा अप्रार्थी सं0 2 व 3 को दिया है तथा अप्रार्थी सं0 2 व 3 अपनी क्रयशुदा कृषि आराजी पर कब्जा काश्त है व राजस्व अभिलेखों में अप्रार्थी सं0 2 व 3 के नाम क्रयशुदा भूमि का नामान्तकरण भी दर्ज हो चुका है। प्रार्थीगण का यह कथन की अप्रार्थी सं0 2 अपने खरीदशुदा हिस्से अधिक हिस्से पर कब्जा काश्त करने पर उतारू है अस्वीकार है। प्रार्थीगण ने उक्त कथन न्यायालय की सद्भावना प्राप्त करने हेतु उल्लेखित किये है जबकि मौके की वास्तविक स्थिति यह है कि अप्रार्थी सं0 2 एवं 3 अपने खरीद हिस्से अनुसार एवं अप्रार्थी सं0 1 द्वारा मौके पर दिये गये कब्जे अनुसार ही कब्जा काश्त है, अपने खरीद हिस्से के अलावा अन्य कोई किसी प्रकार का अवैध कब्जा अप्रार्थी सं0 1 की खातेदारी भूमि पर नहीं है। प्रार्थीगण खातेदार नहीं है इस कारण भी अप्रार्थी सं0 2 व 3 के विरूद्ध कोई वाद एवं प्रार्थना पत्र लाने का अधिकार भी प्रार्थीगण का नहीं है। अप्रार्थी सं0 1 व प्रार्थीगण दुर्भि सन्धि के तहत् विधिक रूप से कब्जे काश्त खातेदार के विधिक कब्जे में नाजायज रूप से व्यवधान उत्पन्न करना चाह रहे है एवं इसी दुर्भावना के तहत् ही उत्तराधीन प्रार्थना पत्र एवं वाद पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। जिसमें सफल होने पर प्रार्थीगण अप्रार्थी सं0 2 व 3 के जायज हिस्से में नाजायज तरीके से अतिचार का

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

कुप्रयास करेंगे जिससे मौके पर अप्रार्थी सं0 2 व 3 के परिवारजन एवं प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं0 1 के मध्य लड़ाई झगड़ा होने की पूर्ण संभावना है। ऐसी स्थिति में वाद बाहुल्यता बढ़ने एवं फौजदारी मुकदमेंबाजी की पूर्ण आशंका है। जवाबकर्ता द्वारा अपने जवाब के अतिरिक्त कथन में अंकित किया कि अप्रार्थी सं0 2 व 3 के विरूद्ध अप्रार्थी सं0 1 एवं सह खातेदारों के विरूद्ध न्यायालय के समक्ष अपनी क्रयशुदा कब्जे काश्त कृषि आराजी के विधिक बंटवारे का दावा अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53, 88, 188 के प्रस्तुत कर रखा है जिसका वाद क्रमांक 16/2016 बाउनवान शान्ति देवी वगै0 बनाम राम सिंह वगै0 है तथा साथ ही राजस्व विविध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया है जिसका क्रमांक 14/2015 बाउनवान शान्ति देवी वगै0 बनाम राम सिंह वगै0 है। अतः जवाबकर्ता द्वारा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज करने का निवेदन किया।

4. उक्त प्रकरण में वकील पक्षकारान् की बहस सुनी गई।

4.1 वकील प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित वादग्रस्त भूमि में हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के प्रचलित प्रावधानों के तहत् प्रार्थीगण का हक हिस्सा अधिकार स्वत्व निहित है। कारण की उपरोक्त आराजी प्रार्थीगण के दादा जोधा पुत्र रूपा से विरासत में प्राप्त आराजी है। प्रार्थीगण के दादा जोधा के फौत होने के पश्चात् अप्रार्थी सं0 1 अर्थात प्रार्थीगण के पिता के नाम विरासत के तौर पर उपरोक्त आराजी में से 1/2 हिस्से का इन्द्राज हुआ इसी अनुसार मौके पर काबिज काश्त करते आ रहे थे, परन्तु अप्रार्थी सं0 1 द्वारा बिना किसी आवश्यकता के प्रार्थीगण के हित अधिकारों के विपरित जाकर उपरोक्त आराजी में से 20/262 हिस्सा अप्रार्थी सं0 2 को बैचान कर दिया। अप्रार्थी सं0 2 द्वारा बोगस विक्रय पत्र के आधार पर खरीद हिस्से से अधिक हिस्से पर जबरन कब्जा काश्त करने पर उतारू है एवं उपरोक्त आराजी को खुर्द बुर्द कर बैचान करने पर आमादा है। प्रार्थीगण का प्रकरण प्रथम दृष्टया व सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति यह धारा 212 के तीन महत्वपूर्ण घटक प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होते है। अतः वकील प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रार्थीगण की पैतृक अधिकार निहित एवं अप्रार्थी सं0 1 के नाम खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम ढाणी पुरोहितान पटवार हल्का सिलोरा के वर्तमान ख0नं0 48 रकबा 13–02–00 में अप्रार्थी सं0 1 का उपरोक्त आराजी में 1/2 हिस्सा निहित होने से प्रत्येक प्रार्थीगण का 1/8 हिस्सा संयुक्त रूप से 3/8 हिस्से से अप्रार्थीगण प्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

को बेदखल नहीं करे एवं कृषिकिय कार्य में व्यवधान उत्पन्न नहीं करे एवं अप्रार्थी सं0 3 बोगस विक्रय के पत्र के आधार पर अधिक हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त नहीं करे, अप्रार्थी सं0 1 व 3 द्वारा बैचाना व हस्तान्तरण नहीं करे व मौका व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखे इस हेतु अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया।

4.2 वकील अप्रार्थीगण सं0 2 व 3 द्वारा अपनी बहस के दौरान जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी सं0 1 ने अपने पूर्ण खातेदारी अधिकारों के तहत् ही अप्रार्थी सं0 2 एवं 3 को अपनी खातेदारी कृषि आराजी को पूर्ण प्रतिफल राशि प्राप्त करके बैचान किया, जिसके पंजीकृत विक्रय पत्र निष्पादित करके मौके पर बैचानशुदा भूमि का कब्जा अप्रार्थी सं0 2 व 3 को दिया है तथा अप्रार्थी सं0 2 व 3 अपनी क्रयशुदा कृषि आराजी पर कब्जा काश्त है व राजस्व अभिलेखों में अप्रार्थी सं0 2 व 3 के नाम क्रयशुदा भूमि का नामान्तकरण भी दर्ज हो चुका है। अप्रार्थी सं0 2 एवं 3 अपने खरीद हिस्से अनुसार एवं अप्रार्थी सं0 1 द्वारा मौके पर दिये गये कब्जे अनुसार ही कब्जा काश्त है, अपने खरीद हिस्से के अलावा अन्य कोई किसी प्रकार का अवैध कब्जा अप्रार्थी सं0 1 की खातेदारी भूमि पर नहीं है। प्रार्थीगण खातेदार नहीं है इस कारण भी अप्रार्थी सं0 2 व 3 के विरूद्ध कोई वाद एवं प्रार्थना पत्र लाने का अधिकार भी प्रार्थीगण का नहीं है। अप्रार्थी सं0 1 व प्रार्थीगण दुर्भि सन्धि के तहत् विधिक रूप से कब्जे काश्त खातेदार के विधिक कब्जे में नाजायज रूप से व्यवधान उत्पन्न करना चाह रहे है एवं इसी दुर्भावना के तहत् ही उत्तराधीन प्रार्थना पत्र एवं वाद पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। अप्रार्थी सं0 2 व 3 के विरूद्ध अप्रार्थी सं0 1 एवं सह खातेदारों के विरूद्ध न्यायालय के समक्ष अपनी क्रयशुदा कब्जे काश्त कृषि आराजी के विधिक बंटवारे का दावा अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53, 88, 188 के प्रस्तुत कर रखा है जिसका वाद क्रमांक 16/2015 बाउनवान शान्ति देवी वगै0 बनाम राम सिंह वगै0 है तथा साथ ही राजस्व विविध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया है जिसका क्रमांक 14/2015 बाउनवान शान्ति देवी वगै0 बनाम राम सिंह वगै0 है। अतः वकील अप्रार्थी सं0 2 व 3 द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज करने का निवेदन किया।

5. हमारे द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के संबंध में गहनता से अवलोकन किया गया एवं वकील पक्षकारान् की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी को अपने पक्ष में विरचित

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

अनुतोष कि प्राप्ति हेतु निम्न तीन बिन्दु साबित करने है–(1) प्रथम दृष्टया मामला (2) सुविधा का सन्तुलन (3) अपूर्णनीय क्षति

5.1 प्रथम दृष्टया मामला– पत्रावली के साथ संलग्न ग्राम ढाणी पुरोहितान की जमावन्दी सम्वत् 2069 से 2072 अनुसार खाता संख्या नया 244 पुराना 105 ख0नं0 48 रकबा 13–02–00 भूमि अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि है। जिसमें प्रार्थीगण के पिता अप्रार्थी सं0 1 का भी हिस्सा निहित है। अतः उक्त भूमि प्रार्थीगण की पैतृक भूमि है व हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत् उक्त सम्पत्ति में प्रार्थीगण का अधिकार निहित है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है।

5.2 सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तणीय क्षति– संलग्न जमाबन्दी अनुसार वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की पैतृक खातेदारी की भूमि होने से सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तणीय क्षति का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है।

अतः न्यायालय हाजा का अभिमत है कि प्रार्थीगण के पिता अप्रार्थी सं0 1 और उप पंजीयक किशनगढ़ अप्रार्थी सं0 5 वादग्रस्त आराजी ग्राम ढाणी पुरोहितान स्थित ख0नं0 48 रकबा 13–02–00 भूमि के विचाराधीन मूल राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के निस्तारण तक राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे ताकि वाद बाहुलता ना बढ़े। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि अप्रार्थी सं0 1 और 5 मूल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजीयात् ख0नं0 48 रकबा 13–02–00 भूमि के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखेंगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 18/02/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(परसाराम)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)